न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

बाबूलाल बनाम सरकार

मु० नं० - 92/2024

किया जाकर पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 12/8/24 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

12/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध वादी कागजात, तहसीलदार जवाब, साक्ष्य शपथ पत्रों एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व वकील वादी की बहस को मनन करने पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राज० काश्तकारी अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से जारी किया जाकर शामिल मिसल किया जाता।

निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
92 / 2024	01 / 07 / 2024	12.08.2024

1. बाछूराम पुत्र शंकरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सरजोली, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण, राजस्थान।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभावक
श्री पुष्पेन्द शर्मा :— वकील वादी।
पैरोकार सरकार :— उपस्थित।

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर०टी०एक्ट

—: निर्णय:—

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 1.2100है0, खसरा नम्बर 87, 88, 89 कुल किता 3 कुल रकबा 1.6100है0 में वादी का हिस्सा 1/20 भाग, भूमि वाके ग्राम सरजोली, पटवार मण्डल नेवर, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित है। जो वादी के नाम से दर्ज रिकार्ड खातेदारी भूमि है। जिसको वाद में वादग्रस्त भूमि कहा गया है। उक्त वर्णित भूमि में वादी का नाम बाबूलाल पुत्र शंकरलाल गलत दर्ज चला आ रहा है, वादी को घर पर प्यार से बाबूलाल के नाम से जाना जाता है जबकि वादी का वास्तविक रिकार्डेड नाम बाछूराम पुत्र शंकरलाल है तथा वादी के समस्त दस्तावेजों में नाम बाछूराम पुत्र शंकरलाल दर्ज है, तथा वादी के समस्त सरकारी दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, पेन कार्ड भी बाछूराम पुत्र शंकरलाल के नाम से ही है। जो कि सही है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में बाबूलाल पुत्र शंकरलाल कर दिया गया है जो कि एक लिपिकीय भूल है, तथा उक्त लिपिकीय त्रुटि, विरासती नामान्तकरण तस्दीक करते समय सहवन से राजस्व कर्मचारियों के द्वारा की गई थी। जबकि वादी का वास्तविक नाम बाछूराम पुत्र शंकरलाल है। इसके विपरीत लिपिकीय भूल द्वारा हुई गलत इन्द्राज को वादी कानूनी रूप से दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त वर्णित भूमि मे वादी का हिस्सा 1/20 भाग में अंकित वादी का नाम बाबूलाल पुत्र शंकरलाल को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम बाछूराम पुत्र शंकरलाल घोषित किये जाने के आदेश फरमावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/आर.टी./2024/645 दिनांक 29.07.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जो पत्रावली में शामिल है। वकील वादी ने साक्ष्य के रूप में श्री सरदार सिंह गुर्जर पुत्र शंकर जाति गुर्जर निवासी सरजोली व श्री फैलीराम गुर्जर पुत्र शंकर जाति गुर्जर निवासी ग्राम सरजोली का प्रार्थना पत्र के समर्थन में सहमति साक्ष्य शपथ पत्र पृथक–पृथक पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादीगण की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

(४२)

अतः वकील वादी की बहस सुनने, पत्रावली में उपलब्ध वादी का वाद पत्र, तहसीलदार जवाब तथा अन्य दस्तावेजों एवं साक्ष्य शपथ पत्रों का अवलोकन करने पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सरजोली, पटवार हल्का नेवर, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 1.2100है0, खसरा नम्बर 87, 88, 89 कुल किता 3 कुल रकबा 1.6100है0 में वादी के खातेदारी इन्द्राज बाबूलाल पुत्र शंकरलाल जाति गुर्जर के स्थान पर बाबूलाल उर्फ बाछूराम पुत्र शंकरलाल जाति गुर्जर अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है तथा तदानुसार राजस्व रिकार्ड इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। खातेदार का हिस्से पूर्वानुसार रहेगा। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ